BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 56/2026

SHAILESH SINGH …APPLICANT(S)

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD &

ORS

…RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4-DIRECTOR, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 29.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL	
2.	A COPY OF LETTER DATED 06.02.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	
3.	A COPY OF LETTER DATED 19.03.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

4.	A COPY OF SITE INSPECTION REPORT DATED 07.01.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-3	
5.	A COPY OF LETTER DATED 22.04.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-4	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 25.04.2025

Place: Noida

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 56/2026

SHAILESH SINGH ...APPLICANT(S)

VERSUS

CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD &
ORS

...RESPONDENT(S)

RESPONSE ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 4- DIRECTOR, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, UTTAR PRADESH IN COMPLIANCE WITH ORDER DATED 29.01.2026 BY THE HON'BLE TRIBUNAL

NOTARY R.C. VERMA ADV & NOTARY Lucknow U.P. Regd. No. 31/64/2000 GOVT. OF UTTAR PRADESH

I, Dr. Rajendra Prasad aged about 59 years, S/o Shri Shri Gokul Prasad, posted as Director, Animal Husbandry, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

Rajendra 24.04.2026

Sworn and Verified
Before me

R. C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000
24/4/2026

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That, I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

BACKGROUND OF THE MATTER

3. That, in the present Original Application, the applicant has alleged violation of environmental norms by Respondent No. 6 unit namely M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd., alleging that the said unit is carrying out slaughtering operations beyond the permissible limits, discharging untreated effluents outside its industrial premises, and not complying with the Zero Liquid Discharge (ZLD) conditions.

4. That, the matter was last listed for hearing on **29.01.2026**, wherein the Hon'ble Tribunal directed as follows:

   "*5. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit before the Tribunal at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without*

routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal.

9. List on 27.04.2026."

REPLY IS AS FOLLOWS

5. That, in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, the deponent, vide letter no. **556/Sa.-1/NGT/2025-26** dated **06.02.2026**, directed the Chief Veterinary Officer, Bareilly, to ensure compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal and to apprise the deponent regarding the actions taken so timely affidavit could be filed before the Hon'ble Tribunal.

A copy of letter dated 06.02.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-1***.

6. That, the Chief Veterinary Officer, Bareilly, vide letter no. **8114/Sth/2025-26** dated **19.03.2026**, informed the deponent regarding the compliance status of Respondent No. 6 unit in respect of the issues pertaining to the deponent department.

A copy of letter dated 19.03.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-2***.

7. That, vide letter dated **19.03.2026** mentioned above, it has been informed that the routine site inspection of Respondent No. 6 unit was carried out by the district level committee including the Chief Veterinary Officer, Bareilly as a member on **07.01.2026** wherein the unit was found to be compliant as per the applicable parameters.

A copy of site inspection report dated 07.01.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-3***.

8. That, it has further been informed that as per the Consent to Operate (CTO) granted by the U.P. Pollution Control Board, Respondent No. 6 unit is permitted to slaughter **300 buffaloes** (requiring **2.5 sq. m.** space per animal in the lairage area) and **550 goats** (requiring **1.25 sq. m.** space per animal in the lairage area). Accordingly, as per the applicable norms, a total lairage area of **1410 sq. m.** is required. However, during the inspection dated **07.01.2026**, it was observed that the unit had established a lairage area measuring **2770 sq. m.**, wherein animals are kept for 24 hours prior to slaughter.

9. That, it has further been informed that during the aforesaid inspection, the log book relating to products prepared from blood meal generated from animal slaughter was found available at the premises of Respondent 6 unit. It has also been informed that the hide preservation section of the said unit was found covered with a tin shed at the time of inspection.

10. That, CVO, Bareilly further vide letter no. **413/Sth/2026-27** dated **22.04.2026** has informed that during site inspection dated **07.01.2026**, it was recorded that on that date a total of **293** buffaloes were slaughtered at the date of inspection out of which all were found to be above **03 years** of age as per the norms.

A copy of letter dated 22.04.2026 is annexed herewith and marked as ***Annexure-4***.

11. Hence, this response is respectfully submitted in faithful compliance with the directions of this Hon'ble Tribunal.

12. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY R.C. VERMA ADV. & NOTARY Lucknow U.P. India Regd. No. 31/64/2000 GOVT. OF UTTAR PRADESH

DEPONENT

Sworn and Verified Before me

R. C. VERMA Adv. & NOTARY Lucknow U.P. INDIA Regd. No. 31/64/2000

20/4/2026

VERIFICATION

Verified at Lucknow on this 25 day of April 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 12 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY
R.C. VERMA
ADV. & NOTARY
Lucknow U.P. India
Regd. No. 31/64/2000
GOVT. OF UTTAR PRADESH

DEPONENT

Sworn and Verified
Before me

R. C. VERMA
Adv. & NOTARY
Lucknow U.P. INDIA
Regd. No. 31/64/2000

ANNEXURE-1

प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
पशुपालन विभाग,
जनपद– बरेली, उ0प्र0।

पत्रांक 556 /सा0–1/एन0जी0टी0/2025–26, दिनांक 06 फरवरी, 2026

विषयः **मा0 रा0ह0अ0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रतिक्रिया/उत्तर प्रस्तुत करने विषयक।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ऐ0 नं0 56/2026 के सम्बन्ध में परित आदेश का संदर्भ ग्रंहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा प्रतिवादियों से उनका प्रतिक्रिया/उत्तर अगली सुनवाई की तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह से पूर्व प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण मे0 मारिया फ्रोजेन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, जनपद–बरेली से सम्बन्धित है। उक्त फर्म का उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया गया जिसकी निरीक्षण आख्या में कतिपय कमियां पशुपालन विभाग की दर्शाई गई हैं।

उक्त के क्रम में आपको निर्देर्शित किया जाता है कि संलग्न निरीक्षण आख्या में विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रतिक्रिया/उत्तर अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

06/02/26

(डा0 मेमपाल सिंह)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास।

o/c

ANNEXURE-2

प्रेषक, संशोधित

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

निदेशक,
पशुधान एवं विकास,पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक 8114 /पशा0/ 2025–26 दिनांक 19/03/ 2025

विषयः– मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रतिविदग/उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय पत्रांक 555/पश0–1/एन.जी.टी./2025–26 दिनांक 06 फरवरी 2026 का संदर्भीक्रन करने की कृपा करें जिसके अन्तर्गत मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के ओ0ए.सं. 56/2026 के संदर्भ में जोरी आदेश के संदर्भ में प्रतिवाविली के उत्तात अपेक्षिया/उत्तर अगली सुनवाई को विथि सं न्मुवरान कर सालर से पूवं किस्तु निन्य विदुओं पर निवेदन किया गया है।

उक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि सम्बन्धित फर्म मैसर्स मारित्य फांग्रन एण्ड फूड प्रोऊवटर्स प्रा.लि0मोहनपुर विश्यिा बरेली को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी–12 वी भ्रिनूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ द्वारा कारण चलाशे नोटिस दिनांक 22–05–2024 एवं 15–07–2024 जारी किया गया था। तला ढत्तर प्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड टी.सी.–12 वी कैनुशी उाण्ड गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक H-165511-7/जच.-C40/2024 दिनांक 02–09–2024 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के वम्नासखीण सानेख्या ची–संख्या–6642/2024 संदर्भ याचिवा क्षविग ऐ्ये एडक्ष प्रालि. चनान ठठकुर प्रदूषण नियंत्रग बोर्ड के अन्य के पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगा तथा निर्दशित किया गया है कि इकाई द्वारा निर्मण सहमति शतों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चिल किया जाएगा।

उक्त के अतिरियत यह भी अवगत करना है कि उद्योग को प्रदूषण नियंत्रग बोर्ड द्वारा 300 भैाट/सेवा (2. इर्न्रा मी.प्रति पशु) एवं 550 कवण/कल्लों (1.20मोलियग्रति पशु) गायों के अंगुशंग वीरिल हेतु कूल 1410 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है किन्तु मोके पर प्रर्म इल्ला लैरिय हैतु प्रााया गया स्थान 2770 वर्गमीटर है जबकि मानक के काफी अधिक है। नियमानुसार टय से पूर्व पशुओं को 24 धंटे के लिए होल्ड किया जाता है जिस कारण पशुओं के रहाने के लिए लोरिज में जगह है। पशुधन से पानहित खव्डभील रो धैयार उत्पाल आदि से सम्बन्धित लाम–वुक मौके पर पावी गयी।

दिनांक 03–04–2024 को पशुचिकित्सकों द्वारा जारी की गयी एपप रिपोर्ट दिनांक एप दिनांक 04–04–2024 को किया गया के अनुसार कोई भी भैस/गाय वीम र्ला के तथा उव के नहीं अंकित है। उद्योग इकाई में स्वच्छता व्यवस्र वोः स्स यर हेड (फल्उन्ट हेतु स्पष्ट कैमरा स्थापित है। इकाई में थादड णिजरौक्षम सेक्शन वर्तमान समय में टीन से भारा हुआ है।

सम्बन्धित इकाई में सी.सी.टी.वी कैमरे स्थापित है जोकि क्रियाशील है। उद्योग का संचालन सम्बन्धित फर्म के द्वारा नियमानुसार किया जा रहा है तथा प्रत्येक माह मेसर्स मारिव्य फॉग्रन एयो फूड प्रोड्वटर्स प्रा.लि0पोहनपुर विश्यिा बरेली की संयुक्त निरीक्षण शाखा जिलाधिकारी महोदय बरेली के द्वारा मानिव एवरथों के संयुक्त रूप से हस्ताक्षोथारत निरीक्षण;रोग नियंत्रण एवं प्रवंध,पशुपालन विभाग,उयूथादावातव्य को प्रेसित भी जा रही है।

अतः आ्यया आगकी सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डा. राममोहन पाण्डेय)
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

जनपद बरेली में स्थापित/संचालित पशुवधशाला मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मै0 मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0) मोहनपुर ठिरिया, बरेली की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में–

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी, बरेली के पत्र सं0 5117–19/सी0वी0ओ0/पशुपालन/2022–23 दिनांक 22.12.2022 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद बरेली में स्थापित/संचालित स्लॉटर हाउस मैसर्स नगर निगम पशुवधशाला (आपरेटर मै0 मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0) मोहनपुर ठिरिया, बरेली का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 07.01.2026 को संयुक्त समिति द्वारा उद्योग प्रतिनिधि श्री सरफराज अहमद अंसारी, निदेशक की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण किये गये स्लॉटर हाउस की विन्दुवार आख्या निम्नवत् है–

1. नगर निगम, बरेली के स्वामित्व की पशुवधशाला को ऑपरेटर मै0 मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, मोहनपुर द्वारा वर्ष 2017 में पी0पी0पी0 मॉडल पर उच्चीकृत कर मॉडर्न पशुवधशाला के रूप मे स्थापित/संचालित है, जिसमें 300 नं0 प्रतिदिन अप्रतिवन्धित पशुओं (भैस/भैसा) का वध कर 46.50 मीट्रिक टन फ्रोजेन मीट तथा 550 नं0 गोट/शीप का वध कर 5.50 मीट्रिक टन मीट का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया।

उद्योग से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयॉ कमशः बार स्क्रीन, सॉलिड सेपरेटर, ऑयल/फैट रिमूवल टैंक, इक्वालाइजेशन टैंक, यू0ए0एस0वी0, केमिकल डोजिंग टैंक, फ्लोकुलेशन टैंक, प्राइमरी क्लेरी फायर, एयरेशन टैंक–I, सेकेण्ड्री क्लेरी फायर–I, एयरेशन टैंक–II, सेकेण्ड्री क्लेरिफायर–II, क्लीयर वॉटर टैंक, मल्टी ग्रेड फिल्टर, एक्टीवेटेड कार्बन, स्लज ड्राइंग बेडस हैं। उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र द्वारा शोधित उत्प्रवाह को लैगून में एकत्रित किया जाता है तथा लैगून से शोधित उत्प्रवाह को करनाल टैक्नोलॉजी में सिंचाई में, उद्योग परिसर में बागवानी की सिंचाई में एवं लैरेज वॉशिंग में प्रयुक्त किया जाता है।

उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर स्थापित ऑनलाइन इफ्ल्यून्ट मानीटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राज्य बोर्ड के सर्वर से कनेक्ट है। उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र द्वारा शोधित उत्प्रवाह को लैगून में एकत्रित किया जाता है तथा लैगून से शोधित उत्प्रवाह को करनाल टैक्नोलॉजी में सिंचाई में प्रयुक्त किया जाता है। निरीक्षण के समय पशुवधशाला में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट पर स्थापित ऑनलाइन इफ्यूलेण्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के पैनल में पी0एच0–7.56, सी0ओ0डी–134 मि0ग्रा0/ली0, बी0ओ0डी–18 मि0ग्रा0/ली0, टी0एस0एस0–34 मि0ग्रा0/ली0 एवं वाटर फ्लो डिस्चार्ज–6.0 मी0^3/घंटा प्रदर्शित होते हुये पाये गये, जो कि बोर्ड मानको के अनुरुप है।

निरीक्षण के समय औद्योगिक प्रकिया से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह का नमूना उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के अन्तिम निस्तारण विन्दु से एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में जमा किया गया, प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार नमूने में पाये जाने वाले विभिन्न प्रचालक बोर्ड मानको के अनुरूप पाये गये। शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या संलग्न है।

उद्योग में वाष्प जनन हेतु 06 टन/घंटा क्षमता का ब्वॉयलर स्थापित है जिसमें ईधन के रूप में लकडी/राइस हस्क लगभग 08 टन/दिन की दर से प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसो के उत्सर्जन हेतु ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग 33 मीटर है। उक्त ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित है। इसके अतिरिक्त उद्योग में स्थापित 02 टन/घंटा क्षमता के 01 नं0 ब्वॉयलर में ईधन के रूप में लकडी/राइस हस्क लगभग 1.5 टन/दिन की दर से प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसो के उत्सर्जन हेतु ब्वॉयलर से सम्वद्ध चिमनी की ऊँचाई भूतल से लगभग 20 मीटर है। उक्त ब्वॉयलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर स्थापित है, जो कि निरीक्षण के समय कार्यरत पायी गयी।

उद्योग के जनित सॉलिड वेस्ट का निस्तारण हेतु रैण्ड्रिग प्लान्ट स्थापित है, रैण्ड्रिग प्लान्ट से जनित दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु बायो फिल्टर स्थापित है। निरीक्षण के समय बायो फिल्टर कार्यरत पाया गया। उद्योग से जनित ब्लड को ब्लड कोआगुलेटर प्लान्ट के द्वारा ब्लड मील में परिवर्तित किया जाता है। निरीक्षण के समय रैण्ड्रिग प्लान्ट, बायो फिल्टर एवं ब्लड कोआगुलेटर प्लान्ट संचालित पाये गये।

उद्योग में वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था के रूप में 1010 केवीए क्षमता के 03 नं0 कैनोपी युक्त डी0जी0 सेट स्थापित हैं। उक्त डी0जी0 सेट्स में ईधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। फ्लू गैसो के उत्सर्जन हेतु डी0जी0 सेट्स से सम्वद्ध एग्जॉस्ट पाइप्स की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरुप है।

उद्योग परिसर में दुर्गन्ध के नियंत्रण हेतु एरोमेटिक स्प्रे आदि का प्रयोग समुचित प्रकार से किया जाता है। उद्योग द्वारा शुद्धिकृत उद्योग से जनित वेस्ट मीट, ब्लडमील तथा हड्डी आदि वेस्ट को रैण्ड्रिग प्लान्ट में प्रयुक्त किया जाता है।

Ins. Report Atul111

9. उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के ऑनलाइन संदर्भ सं0 137014/यूपीपीसीबी/बरेली(यूपीपीसीबीआरओ)/ सीटीओ/वाटर/ बरेली/2021 दिनांक 10.12.2024 द्वारा सशर्त जल सहमति एवं ऑनलाइन संदर्भ सं0 137010/यूपीपीसीबी/बरेली(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/एयर/बरेली/2021 दिनांक 16.12.2024 द्वारा सशर्त वायु सहमति निर्गत की गयी है, जिसकी वैधता अवधि 31.12.2026 तक है।

10. उद्योग द्वारा एपीडा का लाइसेन्स प्राप्त किया गया है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 02.06.2026 तक है।

11. उद्योग द्वारा पशुओं को उतारने हेतु समुचित रैम्प की व्यवस्था की गयी है। उक्त के उपरान्त पशुओं को लैराज-वे में देखभाल हेतु उचित व्यवस्था में रखा जाता है, तदोपरान्त भैंस/भैसा के वध से पूर्व एन्टीमार्टम एवं वध के पश्चात पोस्टमार्टम पंजीकृत पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाता है। पशुवधशाला में नामित पशुचिकित्साधिकारी की देख-रेख में कार्य किये जा रहे है। निरीक्षण के समय उपस्थित पशुचिकित्साधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आज दिनांक 07.01.2026 को कुल 294 भैंस/भैंसो का वध किया गया है (जो कि उद्योग को प्राप्त पशुवध क्षमता-300 नं0/दिन भैंस/भैंसा के अनुरूप है) एन्टीमार्टम, पोस्टमार्टम एवं कॉर्टन की लेवी नियमानुसार कोषागार में जमा की जा रही है।

12. उक्त पशुवधशाला में मीट उत्पादन हेतु लाये जा रहे पशुओं का परिवहन नियमानुसार किया जा रहा है, लाये गये पशुओं की लैरेज में देखभाल हेतु मानको के अनुसार समुचित व्यवस्था की गयी है। पशुवधशाला में वध से पूर्व पशुओ की एन्टीमॉर्टम जांच पंजीकृत पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा की जाती है तथा पशुओ का वध हलाल प्रकिया से किया जाता है। वध के पश्चात कारकस का पोस्टमार्टम भी पंजीकृत पशु चिकित्साधिकारी के द्वारा किया जाता है। मीट उत्पादन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के शेड्यूल 4 में दिये गये नियमों एवं विनियमों के अनुपालन करते हुये किया जा रहा है। प्रतिष्ठान में हाईजीन एवं सैनिटेशन मानको के अनुरूप पाया गया, प्रतिष्ठान में मांस उत्पादन में लगे हुये सभी कर्मचारियों द्वारा एप्रन, हैड गियर, हैंड ग्लब्स, फेस मास्क एव गम बूट्स/शू कवर का प्रयोग किया जा रहा है। निरीक्षण में एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा जारी वैद्य खाद्य अनुज्ञप्ति सं0 10017051002009 सर्टिफिकेट पाया गया, जिसकी वैधता तिथि 15.03.2028 तक है। उत्पादित मीट का ट्रांसपोर्ट इंसुलेटिड रेफ्रिजरेटिड वाहनों के द्वारा किया जा रहा है।

13. समिति के सदस्यों के संज्ञान में यह आया है कि उद्योग के बारे में यह शिकायत प्राप्त होती है कि उद्योग द्वारा दूषित उत्प्रवाह को बोरिंग के माध्यम से भूगर्भ जल में निस्तारित किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग में जल आपूर्ति हेतु 02 अदद 03 एच0पी0 क्षमता के पम्प पाये गये, जो कि उद्योग द्वारा जल आपूर्ति हेतु प्रयोग किये जाते हैं। उद्योग परिसर की बारीकी से छान-बीन की गयी, परन्तु रिवर्स बोरिंग के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं पाया गया। उद्योग के आस-पास के हैण्डपम्पो के जल नमूने, जो कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बरेली की प्रयोगशाला द्वारा अद्यतन में प्राप्त किये गये है, जिसमें उद्योग का प्रदूषकारी उत्प्रवाह नहीं पाया गया।

14. पशुवधशाला में 24 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे है, जो पूर्ण कियाशील पाये गये।

उपरोक्त आपके सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0प्र0नि0बोर्ड
बरेली

उप नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम
बरेली

सहा0 आयुक्त खाद्य-।।
एफ0एस0एस0ए0आई0
बरेली

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
बरेली

नगर मजिस्ट्रेट
बरेली

Ins. Report Atul111

REGIONAL LABORATORY BAREILLY
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

E-1219/1, E-Block Rajendra Nagar, Awas Vikas Colony, Post-Izzat Nagar, Bareilly

TC-13738

TEST REPORT: WASTE WATER

Ref No: 35221438 /Bareilly/2025 **Date: 11.01.2026**

1- **Name of Industry:** Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Slaughter House) (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)

2- **Address of Industry:** Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly 243123

3- **District:** BAREILLY

4- **Description about sampling point:** Final Outlet Of ETP

5- **Sampling method: (Grab/Composite/Integrated):** Grab

6- **Sample Collected By:** DISTIC LEVEL COMMITTEE

7- **Colour and Odour:** Colourless and Odorless

8- **Quantity and Packing:** 2 Litre Plastic Jerican & Glass Bottle

9- **Date of Sample Collection:** 07.01.2026

10- **Analyis Indented by:** RO Bareilly

11- **Date of sample receipt in Lab:** 07.01.2026

12- **Date of start of analysis in Lab**: 07.01.2026

13- **Period of Analysis :** 10.01.2026

14- **ULR Number:** TC137380250000942F

15- **Sample Plan/Ref. No:** 35221438

16- **Sampling method :** APHA 24th Edition 2023-1060 A,B,C, Page No.-42-52, Collection & preservation of samples.

S.N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	pH, APHA 24th Ed. 4500B: 2023	-	7.8	6.5-8.5	02-12
2	Suspended Solids, APHA 24th Ed. 2540D Total Suspended Solids dried at 103- 105 °C 2023	mg/l	43	50	10-20000 mg/l
3	Dissolved Solids, APHA 24th Ed. 2540 CTotal Dissolved Solids dried at 180 °C 2023	mg/l	1780	2000	10-50000 mg/l
4	BOD, 3 day 27 °C IS3025 (Part 44): 1993 Bio 2023	mg/l	24	30	1.0-50000 mg/l
5	COD, APHA 24th Ed. 5220 B Open Reflux Method 2023	mg/l	176	250	5.0 – 100000 mg/l

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: *NA*

Analysed by-

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR Date: 2026.01.12 12:08:42 +05'30'

[Sunil Kumar (SA)]

Chandresh Kumar Digitally signed by Chandresh Kumar Date: 2026.01.12 14:20:25 +05'30'

Regional Officer

---------------- END OF REPORT--------------

REGIONAL LABORATORY BAREILLY UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

E-1219/1, E-Block Rajendra Nagar, Awas Vikas Colony, Post-Izzat Nagar, Bareilly

TEST REPORT: WASTE WATER

Ref No: 35221438 /Bareilly/2025 **Date: 11.01.2026**

1- **Name of Industry:** Nagar Nigam Slaughter House Bareilly (Slaughter House) (Operated by M/s Marya Frozen Agro Food Products Pvt Ltd)

2- **Address of Industry:** Village-Mohanpur Thiria, Tehsil- Bareilly, Distt.- Bareilly 243123

3- **District:** BAREILLY

4- **Description about sampling point:** Final Outlet Of ETP

5- **Type of Sample (Grab/Composite/Integrated):** Grab

6- **Sample Collected By:** DISTIC LEVEL COMMITTEE

7- **Colour and Odour:** Colourless and Odorless

8- **Quantity and Packing:** 2 Litter Plastic Jerican

9- **Date of Sample Collection:** 07.01.2026

10- **Analyis Indented by:** RO Bareilly

11- **Date of sample receipt in Lab:** 07.01.2026

12- **Date of start of analysis in Lab**: 07.01.2026

13- **Period of Analysis : 09.12.2025**

14- **ULR Number:** TC137380250000942F

15- **Sample Plan/Ref. No,:** 35221438

16- **Sampling method:** APHA 24th Edition 2023-1060 A,B,C, Page No.-42-52, Collection & preservation of samples.

S. N.	Parameter/Method Name	Unit	Results	Standard	Detection Range
1	Oil &_Grease	mg/l	4.8	10	-

Reference- (1) General Standards for discharge of environmental pollutants are as part-A Effluent (Schedule-VI). The Environment (Protection) Rules,1986 source: www.cpcb.nic.in/GeneralStandards.pdf. Besides these standards, refer EPA standards for specific purpose

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark: *NA*

Analysed by-

[Kavita Saxena (JRF)]

Authorized by

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR Date: 2026.01.12 12:08:54 +05'30'

[Sunil Kumar (SA)]

Chandresh Kumar Digitally signed by Chandresh Kumar Date: 2026.01.12 14:20:39 +05'30'

Regional Officer

ANNEXURE-4

संशोधन

प्रेषक,

मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक 413 /स्था0/ 2026–27 दिनॉक 22/04/2026

विषयः– मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रतिक्रिया/उत्तर प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 556/सा0–1/एन.जी.टी/2025–26 दिनॉक 06 फरवरी 2026 का अवलोकन करने की कृपा करें जिसके अन्तर्गत मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के ओ0ऐ0नं0 56/2026 के संबंध में परित आदेश के संदर्भ में प्रतिवादियों से उनका प्रतिक्रिया/उत्तर अगली सुनवाई की तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह से पूर्व प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है जिसके परिपालन में इस कार्यालय के पत्रांक 8114/स्था0/2025–26 दिनॉक 19–03–2026 के द्वारा सम्पूर्ण आख्या इस स्तर से आपको प्रेषित की गई थी जिसके सन्दर्भ में पुनः अवगत कराना है कि दिनॉक 07–01–2026 को जिलाधिकारी,महोदय,बरेली के पत्रांक 5117–19/सी.वी. ओ./पशुपालन/2022–23 दिनॉक 22–12–2022 एवं पत्रांक 52/2023–24/दिनॉक 29–04–2023 के द्वारा पशुवधशाला से संबधित अधिनियमों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कमेटी गठित की गई है,के परिपालन में संयुक्त गठित कमेटी द्वारा मैसर्स मारिया फ्रोजन एग्रो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड, मोहनपुर ठिरिया बरेली का स्थलीय निरीक्षण दिनॉक **07–01–2026** को किया गया था । निरीक्षण के समय कुल 293 भैंस/भैसा का वध किया गया है । कुल वध किये गये भैस/भैसा की आयु 03 वर्ष से अधिक थी ।

अतः आख्या आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक . 01

भवदीय

(डा.मनमोहन पाण्डेय)
मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी,
बरेली।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी बरेली

Marya Frozen Agro Food Products Pvt. Ltd.

UNIT ADD: VILLAGE MOHANPUR, THIRIA NAGAR NIGAM
SLAUGHTER HOUSE, BAREILLY, (U.P.) 243123

ABSTRACT OF POST MORTEM EXAMINATION

Date : 07/01/2026

No. Of Buffalo Carcass Examined : 294

No. Of Buffalo Carcass Rejected : 01

No. Of Buffalo Carcass Passed : 293.

Dr. S. K. Singh
Senior Veterinary Doctor
...

Seen

Dr. Akhalesh Kumar
Veterinary Officer
Govt. Veterinary Hospital
Cantt., Bareilly (U.P.)
Regd.No. UPVC-2009-04892

Sea

CVO
2/1/2026

Scanned with OKEN Scanner